

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद— औरेया, उ०प्र०।

पत्र संख्या : एस०पी०एम०य०० / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2022-23 / ५५००

दिनांक : ०२-११-२०२२

विषय:—राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 21 से 23 सितम्बर 2022 में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में पायी गयी कमियों को निस्तारित करने के सम्बंध में।

महोदय,


अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सपोर्टिंग सुपरविजन की टीम द्वारा दिनांक दिनांक 21 एवं 23 सितम्बर, 2022 को जनपद औरेया के विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों पर दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया।

भ्रमण दल द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान चिकित्सा इकाईयों में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है।

उपरोक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों एवं दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को 01 सप्ताह के भीतर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— भ्रमण आख्या (ई—मेल द्वारा प्रेषित)।

भवदीया

  
(अपर्णा उपाध्याय)

मिशन निदेशक

पत्र संख्या : एस०पी०एम०य०० / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2022-23 /

तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महानिदेशक—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक—परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी—अध्यक्ष—जिला स्वास्थ्य समिति जनपद— औरेया।
4. मण्डलीय अपर निदेशक—चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कानपुर मण्डल, कानपुर।
5. समस्त महाप्रबन्धक, एस०पी०एम०य००, उ०प्र०।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, औरेया।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, जनपद औरेया को इस आशय के साथ प्रेषित कि आख्या का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
(डॉ० रिंकू श्रीवास्तव)

जनपदीय नोडल अधिकारी,  
औरेया / कानपुर।

पर्यवेक्षण आख्या जनपद- औरैया  
भ्रमण दिनांक 21-23 सितम्बर, 2022

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के पत्रांक एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड.ई./2022-23/04/2566-2 दिनांक 19.07.2022 द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 21-23 सितम्बर, 2022 के मध्य जनपद- औरैया का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों डी०पी०एम० व डी०सी०पी०एम० के द्वारा भ्रमण को अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया गया।

टीम के सदस्य –

1. डा० कमल मिश्रा, सलाहकार, क्वालिटी, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., लखनऊ।
2. सादिया सिद्दीकी, सलाहकार, आर०बी०एस०के०, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., लखनऊ।

दिनांक— 21.09.2022

दिनांक 21.09.2022 को भ्रमण दल द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय जनपद- औरैया, तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- बिधुना का भ्रमण किया गया। पर्यवेक्षण के दौरान पाये गये अवलोकित बिन्दु निम्नलिखित हैं –

जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया

अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही/ सुझाव	उत्तरदायित्व
<ul style="list-style-type: none"> <li>• सामान्य प्रसव वाले सभी लाभार्थी 48 घण्टे चिकित्सालय में नहीं रुक रहे थे। न रुकने का कारणों का भी उल्लेख नहीं किया जा रहा था।</li> <li>• भ्रमण के समय उपस्थित स्टॉफ नर्स द्वारा अवगत कराया गया कि उसका एस०बी०ए० प्रशिक्षण नहीं किया गया है। उक्त के कारणवश वह लेबर रूम संबंधी गतिविधियों में दक्ष नहीं पायी गयी।</li> <li>• प्रसव कक्ष स्टाफ द्वारा Case Sheet पूर्णता: नहीं भरी जा रही है।</li> <li>• प्रसव कक्ष हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल अपूर्ण पाये गये।</li> <li>• डिलीवरी के सापेक्ष पी०पी०आई०यू०सी०डी० 66 प्रतिशत है। पी०पी०आई०यू०सी०डी० लगाये जाने हेतु लाभार्थियों से कन्सेन्ट नहीं लिया जा रहा है।</li> <li>• प्रसव कक्ष में पी०पी०आई०यू०सी०डी० रिमूवल का कोई भी आंकड़ा/ दस्तावेज</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• स्वास्थ्य केन्द्र को व्यवस्थित करने एवं रिकार्ड के रख रखाव हेतु चिकित्साधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को सुझाव दिया गया।</li> <li>• जिला स्तर पर एस०बी०ए० प्रशिक्षण का आयोजन किया जाये।</li> <li>• प्रसव कक्ष स्टाफ को Case Sheet पूर्णता: भरी जाने हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>• प्रसव कक्ष प्रोटोकॉल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</li> <li>• परिवार नियोजन काउन्सलिंग मुहर का प्रयोग किया जाये तथा पी०पी०आई०यू०सी०डी० के लाभार्थियों की जे०एस०वाई० फार्म पर भी परिवार नियोजन काउन्सलिंग मुहर लगाते हुए दिनांक समय तथा सेवा प्रदाता का नाम भी लिखा जाए ताकि लाभार्थी एवं</li> </ul>	<p style="text-align: right;">मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक, नोडल अधिकारी/ जिला कार्यक्रम प्रबन्धक औरैया।</p>

<p>उपलब्ध नहीं है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>काउन्सिलिंग हेतु परिवार नियोजन की मुहर नहीं है।</li> <li>प्रसव कक्ष में हाइपोक्लोराइट / ब्लीचिंग का घोल नहीं बनाया गया था एवं गन्ती एवं खून से सनी चादरों का उचित निस्तारण नहीं किया जा रहा था।</li> <li>प्रसव कक्ष में हब कटर उपलब्ध नहीं था एवं बायोमेडिकल वेस्ट का उचित निस्तारण नहीं किया जा रहा था।</li> <li>प्रसव कक्ष में कार्यरत स्टाफ नर्स को लेबर रूम प्रोटोकॉल / सेफ्टी प्रोटोकॉल एवं इंफेक्शन कन्ट्रोल की सही जानकारी नहीं है।</li> <li>प्रसव कक्ष में रेडिएन्ट वार्मर उपलब्ध था। कार्यरत स्टाफ नर्स को रेडिएन्ट वार्मर के उपयोग की सही जानकारी न होने के कारण सभी जन्में बच्चों को रेडिएन्ट वार्मर में रखा जा रहा है।</li> <li>लेबर रूम में ट्रे उपलब्ध थी परन्तु ठीक प्रकार से लेबल नहीं की जा रही थी।</li> <li>मेडिसन ट्रे उपलब्ध थी, परन्तु एक्सपायरी डिटेल का कोई उल्लेख नहीं था।</li> <li>ए०एन०सी० कक्ष में पायी गयी वेङ्ग मशीन अकियाशील थी।</li> <li>परिवार नियोजन हेतु इन्जेंक्शन अन्तरा के संबन्ध में लाभार्थियों को दिये जाने वाले पात्रता धनराशि के बारे में स्टॉफ नर्स को कोई जानकारी नहीं थी।</li> <li>चिकित्सालय में के०एम०सी० वार्ड बना हुआ था। कार्यरत स्टॉफ नर्स द्वारा मरीज को कोई भी काउन्सिलिंग नहीं की जा रही थी।</li> <li>फील्ड से रेफरल नहीं होने के कारण 10 बेड एन०आर०सी० में बेड ऑक्यूपेन्सी रेट बहुत कम है। 02 बेड ऑक्यूपाइड थे। डाइट चार्ट, एन०आर०सी० रजिस्टर</li> </ul>	<p>सेवा प्रदाता का भुगतान हो पाये।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रत्येक पी०पी०आई०य००सी०डी० लाभार्थी को काउन्सिलिंग करे। पी०पी०आई०य००सी०डी० रिमूवल का डाटा भी मेन्टेन करने हेतु सुझाव दिया गया।</li> </ul>	<p>लेबर रूम इन्चार्ज / हॉस्पिटल मैनेजर, औरैया।</p> <p>हॉस्पिटल मैनेजर / मैटर्न / आई०सी०एन०, औरैया।</p> <p>चिकित्सा अधीक्षक, नोडल अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, औरैया।</p>
---	--	---



<p>आंशिक रूप से भरे हुए थे।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>पैथोलॉजिस्ट पद रिक्त होने के कारण ब्लड बैंक अक्रियाशील है।</li> <li>चिकित्सालय में आरोबी0एस0को कार्यक्रम के अन्तर्गत लेबर रूम में तैनात स्टॉफ द्वारा नवजात शिशुओं की बर्थ डिफेक्ट स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है।</li> <li>चिकित्सालय परिसर में मिरेकल फीट इण्डिया द्वारा कलबफुट से ग्रसित बच्चों का इलाज किया जाता है, किन्तु लेबर रूम से अब तक एक भी कलबफुट व अन्य किसी भी बर्थ डिफेक्ट हेतु रेफरल नहीं किया गया है।</li> <li>बर्थ डिफेक्ट पोस्टर लेबर रूम में डिस्प्ले नहीं था।</li> <li>लैब में उपस्थित तीनों लैब टेक्नीशियन मॉर्निंग शिप्ट में ही ड्यूटी करते हैं, जबकि इमरजेन्सी एवं ३०टी० में टेस्टिंग हेतु लैब टेक्नीशियन की उपलब्धता न होने के कारण कार्य बाधित होता है व मरीजों को असुविधा होती है।</li> <li>इमरजेन्सी विभाग होने पर भी ३०पी०डी० के बाद इमरजेन्सी सेवाओं हेतु मरीजों को 15-20 किमी दूर स्थित 50 बैडेड चिकित्सालय में रेफर किया जाता है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>उचित कार्यवाही कर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।</li> <li>आंगनवाड़ी आशा व मोबाइल हेल्प टीमों को नियमित रूप से एन०आर०सी० में रेफरल हेतु जनपद स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक व सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।</li> <li>प्राथमिकता पर पैथोलॉजिस्ट पद पर भर्ती किया जाना सुनिश्चित करें।</li> <li>लेबर रूम में तैनात स्टॉफ को बर्थ डिफेक्ट स्क्रीनिंग हेतु पुनः प्रशिक्षण किये जाने की आवश्यकता है।</li> <li>प्रसव कक्ष स्टाफ, मिरेकल फीट इण्डिया के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेबर रूम से कलबफुट रेफरल प्रारम्भ करें।</li> <li>रिपोर्ट के साथ संलग्न बर्थ डिफेक्ट पोस्टर को प्रिंट करवा कर लेबर रूम में डिस्प्ले सुनिश्चित करें।</li> <li>लैब टेक्नीशियन की रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगायी जाये।</li> <li>इमरजेन्सी सेवाएं 24x7 घण्टे दिया जाना सुनिश्चित करें।</li> </ul>	<p>चिकित्सा अधीक्षक, नोडल अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, औरया।</p> <p>चिकित्सा अधीक्षक, नोडल अधिकारी।</p>
---	--	--

### सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-बिधुना, ब्लॉक- बिधुना

पर्यवेक्षण के दौरान पाये गये अवलोकित बिन्दु निम्नलिखित हैं –

अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही/ सुझाव	उत्तरदायित्व
<ul style="list-style-type: none"> <li>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-बिधुना में भी सामान्य प्रसव वाले सभी लाभार्थी 48 घण्टे चिकित्सालय में नहीं रुक रहे थे। न रुकने का कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था।</li> <li>Case Sheet पूर्णता: नहीं</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>आवश्यक कार्यवाही कर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।</li> <li>स्वास्थ्य केन्द्र को व्यवस्थित करने एवं रिकार्ड के रख रखाव हेतु चिकित्साधिकारी एवं ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक को सुझाव दिया गया।</li> </ul>	<p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक।</p>

<p>भरी जा रही है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल अपूर्ण पाये गये।</li> <li>डिलीवरी के सापेक्ष 40 प्रतिशत पी०पी०आई०य००सी०डी० इनसर्शन किया गया है। पी०पी०आई०य००सी०डी० लगाये जाने हेतु लाभार्थियों से कन्सन्ट नहीं लिया जा रहा है।</li> <li>प्रसव कक्ष में पी०पी०आई०य००सी०डी० रिमूवल का कोई भी आंकड़ा / दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।</li> <li>प्रसव कक्ष में कार्यरत स्टाफ नर्स को लेबर रूम प्रोटोकॉल / सेफ्टी प्रोटोकॉल एवं इफेक्शन कन्ट्रोल की सही जानकारी नहीं है।</li> <li>मेडिसन ट्रे उपलब्ध थी, परन्तु एक्सपायरी डिटेल का कोई उल्लेख नहीं था।</li> <li>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-बिधुना में आर०बी०एस०के० कार्यक्रम के अन्तर्गत लेबर रूम में तैनात स्टॉफ द्वारा नवजात शिशुओं की बर्थ डिफेक्ट स्कीनिंग कर क्लबफुट से ग्रसित बच्चों को इलाज हेतु सैफर्ड मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है। जबकि जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया में मिरेकल फीट इण्डिया द्वारा क्लबफुट से ग्रसित बच्चों का इलाज किया जाता है।</li> <li>बर्थ डिफेक्ट पोस्टर लेबर रूम में डिस्प्ले नहीं था।</li> <li>वार्ड में बिस्तरों पर चादर नहीं बिछायी गयी थी। मरीजों को गद्दों पर सोना पड़ रहा था।</li> <li>लेबर रूम में ऑटो क्लेव के</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रसव कक्ष स्टाफ को Case Sheet पूर्णता: भरी जाने हेतु निर्देशित किया गया।</li> <li>प्रसव कक्ष प्रोटोकॉल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</li> <li>परिवार नियोजन काउन्सलिंग मुहर का प्रयोग किया जाये तथा पी०पी०आई०य००सी०डी० के लाभार्थियों की जे०ए०स०वाई०फार्म पर भी परिवार नियोजन काउन्सलिंग मुहर लगाते हुए दिनांक समय तथा सेवा प्रदाता का नाम भी लिखा जाए ताकि लाभार्थी एवं सेवा प्रदाता का भुगतान हो पाये।</li> <li>प्रत्येक पी०पी०आई०य००सी०डी० लाभार्थी को काउन्सलिंग करे। पी०पी०आई०य००सी०डी० रिमूवल का डाटा भी मेन्टेन करने हेतु सुझाव दिया गया।</li> <li>कार्यरत स्टाफ नर्स को लेबर रूम प्रोटोकॉल / सेफ्टी प्रोटोकॉल एवं इफेक्शन कन्ट्रोल की जानकारी हेतु Re-orientation कराया जाये।</li> <li>लेबर रूम से सम्बद्धित समस्त उपकरण, 07 ट्रे एवं लॉजिस्टिक रजिस्टर का ठीक प्रकार से रख-रखाव करना।</li> <li>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-बिधुना के स्टाफ, मिरेकल फीट इण्डिया व जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया के साथ सामंजस्य स्थापित कर चिह्नित बच्चों को इलाज हेतु जिला</li> </ul>	<p>नोडल अधिकारी / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक / डी०सी०पी०एम०</p> <p>इन्चार्ज लेबर रूम।</p>
--	---	---

<p>अन्दर गन्दगी पायी गयी। डिस-इन्फेशन प्रक्रिया में सर्वप्रथम उपकरणों को साफ किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>50 बेडेड नवीन एमोसी० एच० भवन-</b> परिसर में 50 बेडेड भवन का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसका हैण्डओवर किया जाना है। भ्रमण के समय अवलोकन करने पर निम्न गैप पाये गये। <ul style="list-style-type: none"> <li>● लैब में हैण्ड वॉशिंग एवं सिंक की व्यवस्था नहीं है।</li> <li>● लेबर रूम में हैण्ड वॉशिंग नहीं है एवं पेशेंट वेटिंग एरिया में स्कब स्टेशन बनाये गये हैं।</li> <li>● ओ०पी०डी० चैम्बर में कहीं पर भी हैण्ड वॉशिंग की व्यवस्था नहीं है।</li> <li>● ओ०टी०/लेबर रूम में फॉल सीलिंग बनाई गई है, जोकि प्रोटोकॉल के विरुद्ध है।</li> <li>● ओ०टी० में जोनिंग प्रोटोकॉल के अनुरूप कक्षों का सही निर्धारण नहीं किया गया है।</li> <li>● स्कब स्टेशन पर एल्बो टेप नहीं लगाये गये थे।</li> <li>● रैम्प में हैण्ड रेलिंग नहीं लगाये गये हैं।</li> <li>● मेडिसीन डिस्पेन्सी काउन्टर पर मरीजों से कम्यूनिकेशन हेतु ग्लास में छिद्र नहीं बनाये गये हैं।</li> </ul> </li> </ul>	<p>संयुक्त चिकित्सालय औरैया में रेफरल किया जाना सुनिश्चित करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● रिपोर्ट के साथ संलग्न बर्थ डिफेक्ट पोस्टर को प्रिंट करवा कर लेबर रूम में डिस्प्ले सुनिश्चित करें।</li> <li>● ऑटोक्लेव के हर साइकिल में उपकरणों को साफ किया जाना सुनिश्चित किया जाये।</li> <li>● नवीन भवन में हैण्डओवर लेने से पूर्व उल्लेखित समस्त बिन्दुओं पर उचित कार्यवाही कर सही कराना सुनिश्चित करें।</li> </ul>	<p>मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ एमोओआई०सी०।</p>
--	--	--

दिनांक— 22.09.2022

दिनांक 22.09.2022 को भ्रमण दल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-सहायलपुर, हेत्थ एंव वेलनेस सेंटर— जगजीवनपुर, उच्च प्राठविद्यालय— कनमऊ तथा समुदाय का भ्रमण किया गया। पर्यवेक्षण के दौरान पाये गये अवलोकित बिन्दु निम्नलिखित हैं –

## प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—सहायलपुर

अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही / सुझाव	उत्तरदायित्व
<ul style="list-style-type: none"> <li>ओ०पी०डी० सुविधायें आयुष एम०ओ० द्वारा सप्ताह में 02 दिन दी जा रही है।</li> <li>ए०ए०सी० डिलीवरी, परिवार नियोजन व अन्य सम्बन्धित सुविधायें स्टॉफ की अनुपलब्धता के कारण इकाई से प्रदान नहीं जा रही है।</li> <li>सम्बन्धित क्षेत्र में स्किन इन्फेक्शन के अत्यधिक केस निकल रहे, किन्तु ट्रिटमेंट हेतु दवाओं का अभाव है।</li> <li>लैब में एल०टी० द्वारा सप्ताह में एक ही दिन स्पूटम सम्बन्धी जांच की जा रही है।</li> <li>भवन में ओ०टी० लेबर रूम ओ०पी०डी० आई०पी०डी० हेतु उचित व्यवस्था है, परन्तु उपकरणों, दवाओं एवं सम्बन्धित स्टॉफ के अभाव के कारण मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पी०ए०सी० सहायलपुर पर आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन व स्टॉफ नर्स की नियुक्ति सुनिश्चित करते हुए 01 माह के भीतर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को कियाशील किया जाये।</li> <li>दिये गये सुझाव के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।</li> </ul>	<p>मुख्य चिकित्सा अधिकारी / डी०पी०एम०</p>

## हेल्थ एंव वेलनेस सेंटर— जगजीवनपुर, ब्लॉक— दिबियापुर (भाग्यनगर)

पर्यवेक्षण के दौरान पाये गये अवलोकित बिन्दु निम्नलिखित हैं –

अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही / सुझाव	उत्तरदायित्व
<ul style="list-style-type: none"> <li>हेल्थ एंव वेलनेस सेंटर में कार्यरत सी.एच.ओ. के द्वारा एन.सी.डी. स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा था।</li> <li>हेल्थ एंव वेलनेस सेंटर में पानी का कनेक्शन नहीं था।</li> <li>सभी हेल्थ एंव वेलनेस सेंटर में जन आरोग्य समिति के गठन की कार्यवाही पूर्ण की जाये एवं समिति के सदस्यों का विवरण व बैठक की कार्यवाही का रजिस्टर में</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>हेल्थ एंव वेलनेस सेंटर में पानी का कनेक्शन शीघ्र करवाये जाने हेतु सुझाव दिया गया।</li> </ul>	<p>अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी / डी०पी०एम० / डी०सी०पी०एम०</p>

<p>भी अंकन किया जाना चाहिए।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● सेंटर पर परिवार नियोजन के साधन व आई.ई.सी. उपलब्ध था।</li> <li>● काउन्सलिंग हेतु परिवार नियोजन की मुहर नहीं पाया गया।</li> <li>● हेल्थ एंव वेलनेस सेंटर पर योगा हेतु स्थान का निर्धारण किया जाना चाहिए।</li> <li>● ए०एन०एम० की नियुक्ति नहीं है, जिससे ए०एन०सी० एंव डिलीवरी की सुविधायें एच०डब्लू०सी० पर नहीं दी जा रही है।</li> <li>● विद्युत कनेक्शन न होने के कारण कटिया डाल कर काम किया जा रहा है।</li> <li>● लैब टेक्नीशियन न होने के कारण संबंधी सेवाओं का आभाव है।</li> <li>● सी०एच०ओ० भवन एंव ए०एन०एम० भवन के बीच में स्ट्रक्चरल कनेक्शन नहीं है।</li> <li>● ए०एन०एम० आवास को व्यवस्थित किया जाना आवश्यक है।</li> <li>● डिलीवरी टेबल, लेबर रूम ट्रे, लेबर रूम प्रोटोकॉल एंव डिलीवरी से संबंधित समस्त उपकरणों का अभाव है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● काउन्सलिंग हेतु परिवार नियोजन की मुहर बनवाने तथा योगा हेतु स्थान का निर्धारण करने हेतु सुझाव दिया गया।</li> <li>● ए०एन०एम० की नियुक्ति यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।</li> <li>● यथाशीघ्र वैध कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।</li> <li>● लैब टेक्नीशियन की तैनाती की जाए।</li> <li>● दोनों भवनों के बीच में स्ट्रक्चरल लिंकेज स्थापित किया जाये।</li> </ul>	<p>मुख्य चिकित्सा अधिकारी / डी०सी०पी०एम०।</p>
---	---	---

### उच्च प्राविद्यालय— कनमऊ, ब्लॉक – सहार

पर्यवेक्षण के दौरान पाये गये अवलोकित बिन्दु निम्नलिखित हैं –

अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही / सुझाव	उत्तरदायित्व
<b>क्षेत्र भ्रमण— कनमऊ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● पर्सनल हाइजीन, एन०सी०डी० व लाइफ स्टाइल डिसीज सम्बन्धी</li> </ul>		

*Sadiya*



<p>काउन्सिलिंग आशा द्वारा नहीं दी जा रही है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जे०एस०वाई०, फैमिली प्लानिंग व अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित लाभार्थियों तथा आशा का भुगतान पिछले 07 माह से लम्बित पाया गया।</li> <li>परिवार नियोजन हेतु स्थाई व अस्थाई साधनों सम्बन्धी प्रचार-प्रसार की कमी पायी गयी व आशा द्वारा प्रसव पूर्व परिवार नियोजन के लाभार्थियों को काउन्सिलिंग नहीं की जा रही है।</li> <li>एडोलसेन्ट हेल्थ सम्बन्धी कार्य सन्तोषजनक नहीं है।</li> <li>विफ्स व सैनेटरी नैपकीन लाभार्थियों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है।</li> <li>माहवारी से सम्बन्धित जानकारी व साफ-सफाई व सैनेटरी नैपकीन के सुरक्षित निस्तारण हेतु सामुदाय में जागरूकता का अभाव है, आशा द्वारा इस विषय पर बात नहीं की जाती है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>आशा सांगनी एवं ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर के द्वारा आशाओं द्वारा हाउस होल्ड विजिट काउन्सिलिंग रिकॉर्ड कीपिंग को रेगुलर मॉनिटर किया जाये एवं स्वयं के द्वारा भी औचित्य भ्रमण आशा के क्षेत्र में करके किये जा रहे कार्यों का विवरण लिया जाये।</li> </ul>	<p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक।</p> <p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक।</p> <p>नोडल अधिकारी / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक / डी०सी०पी०एम०</p> <p>मुख्य चिकित्सा अधिकारी / एम०ओ०आई०सी०।</p>
--	---	--

दिनांक— 23.09.2022

दिनांक 23.09.2022 को भ्रमण दल द्वारा अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औरैया, 50 बैडेड हॉस्पिटल औरैया, हेल्थ वेलनेस सेंटर— देवरपुर एवं भ्रमण किया गया। पर्यवेक्षण के दौरान पाये गये अवलोकित बिन्दु निम्नलिखित हैं

अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही/सुझाव	उत्तरदायित्व
<u>अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औरैया</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र एक कियाये के भवन में संचालित है जहाँ सीलन थी।</li> <li>नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र का बोर्ड डिस्प्ले नहीं था।</li> </ul>		<p>नोडल अधिकारी एन०य०एच०एम०/ जनपदीय अरबन हेल्थ कोर्डिनेटर</p>

- चिकित्सालय में ₹०३००५८० प्रदर्शित नहीं था।
- नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। जिनका पंजीकरण एवं बैंक खाता संचालित है परन्तु आर०के०एस० रजिस्टर केन्द्र पर अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव कक्ष भी स्थापित है।
- BMW हेतु लाल, नीला एवं पीली बाल्टी भी उपलब्ध थी।
- ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध था।
- फैमिली प्लानिंग से सम्बन्धित समस्त रजिस्टर/कार्ड अधिकतर उपलब्ध नहीं पाये गये।
- काउन्सलिंग हेतु परिवार नियोजन की मुहर नहीं पाया गया।
- उक्त सेन्टर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तरा इन्जेक्शन लगवाये जाने हेतु आशा को कोई लिखित डॉक्यूमेन्ट नहीं दिया जाता है, जिस कारण उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है।
- फार्मसी विभाग के सामने रजिस्टर, पेपर अधिक मात्रा में डम्प है।

#### 50 बेड हॉस्पिटल औरैया -

- ₹०३००५८० में मरीज के लिए प्राइवेसी हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी।
- ₹०३००५८० चैम्बर में हैण्डवॉश की व्यवस्था नहीं थी।
- 50 बेड से हॉस्पिटल में बच्चों को 100 बेड से हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है एवं रेफर के उपरान्त बच्चे की हेत्थ के विषय में फॉलोअप नहीं किया जाता है।
- उक्त हॉस्पिटल में 04 स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात होने के बाद भी ₹०३००५८० अक्रियाशील है एवं ₹०३००५८० में ₹०३००५८०

- दल द्वारा भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही हेतु सुझाव दिया गया।
- काउन्सलिंग हेतु परिवार नियोजन की मुहर बनवाने हेतु सुझाव दिया गया।
- आशा को अन्तरा इन्जेक्शन लगवाने हेतु प्रिन्टेड दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- रैक एवं अलमारी उपलब्ध कराकर व्यवस्थित रूप से रखा जाये।

- पीडियाट्रिशियन के साथ विचार-विमर्श कर सुझाव दिया गया कि रेफर रजिस्टर बनाकर फॉलोअप किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं सप्ताह में एक बार ₹०३००५८० में विजिट किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- ₹०३००५८० समय में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की उपस्थिति लेबर रूम में सुनिश्चित की जाये।

*Radiya* *Q*

<p>चेकअप का कार्य सम्पादित कर रही है एवं लेबर रूम में भी उनकी दक्षता का उपयोग नहीं किया जा रहा है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• चारों स्त्री रोग विशेषज्ञ एक ही 10/10 के रूम में अपने कार्यों का सम्पादन कर रही है, जिससे पेशेन्ट प्राइवेसी एवं काउन्सिलिंग में बाधा उत्पन्न हो रही है।</li> <li>• लेबर रूम जाने के रास्ते में टेबल कुर्सी पायी गयी, जोकि स्ट्रेक्चर एवं व्हील चेयर से प्रसूता को लेबर रूम में ले जाने में बाधक है।</li> <li>• लेबर में ट्राइज की व्यवस्था नहीं थी।</li> <li>• हॉस्पिटल मैनेजर का रूम बहुत अन्दर स्थित है, जिससे चिकित्सालय के मुख्य द्वार या नवीन भवन में स्थानान्तरित किया जाये।</li> <li>• साफ-सफाई हेतु झाड़ु, पोछा, टॉयलेट क्लीनर, ब्रश इत्यादि कॉरिडोर में अव्यवस्थित पाये गये।</li> <li>• लैब एवं इमरजेन्सी में कम स्थान होने के कारण अव्यवस्थायें पाई गई। लैब में सैम्पल कलेक्शन, रिपोर्टिंग टेस्टिंग एक ही कक्ष में किया जा रहा है, जोकि नियम के विरुद्ध है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लेबर रूम या इमरजेन्सी रोटेशन में ड्यूटी लगाकर उनकी विशेषज्ञताओं का अधिकतम लाभ मरीजों को दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।</li> <li>• शीघ्र कार्यवाही कर जगह को खाली कराया जाये।</li> <li>• दिये गये सुझाव के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।</li> <li>• उक्त को सम्बन्धित रूम (सौल्यूस) में व्यवस्थित रूप से रखा जाये।</li> <li>• दिये गये सुझाव के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।</li> </ul>	
--	--	--

हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर— देवरपुर, ब्लॉक— दिबियापुर (भाग्यनगर)  
पर्यवेक्षण के दौरान पाये गये अवलोकित बिन्दु निम्नलिखित हैं –

अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही/सुझाव	उत्तरदायित्व
<ul style="list-style-type: none"> <li>• हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में कार्यरत सी.एच.ओ. के द्वारा एन.सी.डी. स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा था।</li> <li>• हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में पानी का कनेक्शन नहीं था।</li> <li>• सभी हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में पानी का कनेक्शन शीघ्र करवाये जाने हेतु सुझाव दिया गया।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी / डी०पी०एम० / डी०सी०पी०एम०</li> </ul>

<p>में जन आरोग्य समिति के गठन की कार्यवाही पूर्ण की जाये एवं समिति के सदस्यों का विवरण व बैठक की कार्यवाही का रजिस्टर में भी अंकन किया जाना चाहिए।</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● सेंटर पर परिवार नियोजन के साधन व आई.ई.सी. उपलब्ध था।</li> <li>● काउन्सिलिंग हेतु परिवार नियोजन की मुहर नहीं पाया गया।</li> <li>● हेत्थ एंव वेलनेस सेंटर पर योगा हेतु स्थान का निर्धारण किया जाना चाहिए।</li> <li>● ए०एन०एम० की नियुक्ति नहीं है, जिससे ए०एन०सी० एंव डिलीवरी की सुविधायें एच०डब्लू०सी० पर नहीं दी जा रही हैं।</li> <li>● विद्युत कनेक्शन न होने के कारण कटिया डाल कर काम किया जा रहा है।</li> <li>● लैब टेक्नीशियन न होने के कारण संबंधी सेवाओं का आभाव है।</li> <li>● डिलीवरी टेबल, लेबर रूम ट्रे लेबर रूम प्रोटोकॉल एंव डिलीवरी से संबंधित समस्त उपकरणों का अभाव है।</li> <li>● जल भराव की समस्या के कारण आवागमन बाधित था।</li> <li>● सी०एच०ओ कक्ष में पानी टपक रहा था।</li> <li>● कैम्पस में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● काउन्सिलिंग हेतु परिवार नियोजन की मुहर बनवाने तथा योगा हेतु स्थान का निर्धारण करने हेतु सुझाव दिया गया।</li> <li>● ए०एन०एम० की नियुक्ति यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।</li> <li>● यथाशीघ्र वैध कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।</li> <li>● यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।</li> </ul>	<p>मुख्य चिकित्सा अधिकारी / डी०सी०पी०एम०।</p>

भ्रमण के उपरान्त पर्यवेक्षण दल द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर०सी०एच० तथा नोडल आर०बी०एस०के० के साथ बैठक में भ्रमण के दौरान चिन्हित किये गये समस्त

गैप्स की जानकारी दी गयी। सुझाव दिया गया कि इकाईवार नियमित रूप से मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाये, जिससे कि पाये गये गैप्स का निराकरण किया जा सके।

भ्रमण के दौरान संज्ञान में आया कि आर०बी०एस०के० के अन्तर्गत कार्यरत मोबाइल हेल्थ टीम के चिकित्सकों की तैनाती कोविड सम्बन्धित कार्यों में है। सर्वविदित है कि कोविड-19 के संक्रमण की तीव्रता कम होने पर मिशन निदेशक के निर्देशानुसार टीम के सदस्यों को अपने मूल तैनाती स्थान पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसे न करने से उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना है। इससे यह अवगत कराना समाचीन होगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित आर०बी०एस०के० से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्यक्रम में वांछित प्रगति हेतु अधिक रुचि तथा प्रयास की आवश्यकता है जिससे उपचारित बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सके। मुख्य चिकित्साधिकारी तथा की ब्लाकवार एवं टीमवार नियमित समीक्षा करने हेतु सुझाव दिया गया। जनपद द्वारा आर०बी०एस०के० वाहन लॉगबुक का नियमित रूप से सत्यापन किया जाये।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही समस्त गैप्स का निराकरण कर दिया जायेगा।

*Sadiya*

(राजिया सिद्दीकी)  
बी०ई०आई०सी० काम्पलैट  
एस०पी०एम०य०, एन०एच०एस०

*Shulender  
Jain  
SPM*

प्रेषक,

मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

जनपद— औरैया, उ०प्र०।

पत्र संख्या : एस०पी०एम०य०० / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2022-23/

दिनांक : 02-11-2022

विषयः—राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 21 से 23 सितम्बर 2022 में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में पायी गयी कमियों को निस्तारित करने के सम्बंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सपोर्टिंग सुपरविजन की टीम द्वारा दिनांक दिनांक 21 एवं 23 सितम्बर, 2022 को जनपद औरैया के विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों पर दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया।

भ्रमण दल द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान चिकित्सा इकाईयों में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है।

उपरोक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों एवं दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को 01 सप्ताह के भीतर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— भ्रमण आख्या (ई—मेल द्वारा प्रेषित)।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)  
मिशन निदेशक

पत्र संख्या : एस०पी०एम०य०० / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2022-23/ 55००-३ तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महानिदेशक—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक—परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी—अध्यक्ष—जिला स्वास्थ्य समिति जनपद— औरैया।
4. मण्डलीय अपर निदेशक—चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कानपुर मण्डल, कानपुर।
5. समस्त महाप्रबन्धक, एस०पी०एम०य००, उ०प्र०।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, औरैया।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, जनपद औरैया को इस आशय के साथ प्रेषित कि आख्या का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Rishika

(डॉ रिकू श्रीवास्तव)  
जनपदीय नोडल अधिकारी,  
औरैया / कानपुर।